न्यायालयः–चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ अम्बेडकर नगर जिला–इंदौर म.प्र.

सत्र प्रकरण क्रमांक–34 / 2024
आई.ए. नंबर 01 / 2024
थाना डॉ. अम्बेडकर नगर का अप. क्रं– 86 / 2024
अपराध धारा– 450, 376(1) 506 भाग–2 भा.दं.सं.

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र डॉ. अम्बेडकर नगर,
तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर
..... राज्य

विरूद्ध

अमन पिता जगदीश वर्मा
आयु– 30 वर्ष, धंधा–मजदूरी
निवासी– म.नं. 2116 राज मोहल्ला, तहसील महू,
जिला इंदौर म.प्र.
..... आरोपी

–: आदेश दिनांक 16.07.2024 की सत्यप्रतिलिपि :–

16.07.2024

अभियोजन द्वारा श्री दिनेश आर्य अपर लोक अभियोजक।

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वह उपजेल डॉ. अम्बेडकर नगर से व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित। आरोपी द्वारा श्री हंसराज वर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 8227 / 2023 (दीपक यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.) में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में निम्न जानकारी प्रथम पैरा में प्रदान की जा रही हैः–

सत्र प्रकरण क्रमांक	34 / 2024
एफ.आई.आर. नंबर	86 / 2024
एफ.आई.आर. दर्ज होने की दिनांक	19.02.2024
संबंधित थाने का नाम	महू / डॉ. अम्बेडकर नगर

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050019192024-orderno-1.pdf

गिरफ्तार होने की दिनांक	19.02.2024
अभियोग पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक	19.04.2024
पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड	पुलिस थाना महू में अपराध क्रमांक 414/2019 379 भा.दं. सं., अपराध क्रमांक 486/19 धारा 49ए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम
जमानत आवेदन पत्र	प्रथम

आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के समर्थन में शपथकर्ता अधिवक्ता श्री जगदीश वर्मा का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है तथा न ही लंबित है एवं न ही जमानत संबंधी कोई आवेदन निराकृत है।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जबाव/तर्क हेतु नियत है।

पुलिस थाना डॉ. अम्बेडकर नगर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा उक्त आवेदन पत्र का लिखित जबाव न देना व्यक्त किया गया तथा मौखिक विरोध किया गया।

तर्क सुने गये।

इस आदेश द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी को असत्य रूप से गिरफ्तार किया गया है तथा वह छः माह से न्यायिक अभिरक्षा में है।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050019192024-orderno-1.pdf

आरोपी एवं फरियादी के मध्य भवन संबंधी विवाद है। फरियादी द्वारा परिवार के सदस्यो के कहने से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। आरोपी के जेल में रहने से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। आरोपी स्थानीय निवासी है तथा उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आरोपी न्यायालय के समस्त आदेशों का पालन करेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन की ओर से श्री दिनेश आर्य अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पत्र का लिखित जबाव न देकर मौखिक विरोध किया तथा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

प्रकरण एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि आरक्षी केन्द्र डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 86/2024 धारा 450, 376(1) 506 भाग–2 भा.दं.सं का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19.02.2024 को सुबह लगभग 9.30 बजे पीडित जब अपने घर में थी तभी आरोपी ने आकर उससे अश्लील बातें की एवं आरोपी ने पीडित के साथ बलात्संग कारित किया। आरोपी द्वारा पीडित को यह धमकी दी गई कि यदि वह उसके साथ नही रही तो वह पीडित के पति को मार डालेगा। तत्पश्चात आरोपी घटना स्थल से चला गया एवं पीडित ने घ ाटना की जानकारी अपने पति को मोबाइल फोन पर दी। उक्त आधार पर पीडित ने अपने भाई के साथ जाकर पुलिस थाना डॉ अम्बेडकर नगर जिला इंदौर में आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आरोपी पर पीडित के निवासग्रह में प्रवेश कर उसके साथ बलात्संग किये जाने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। आरोपी के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त पुलिस थाना महू में अपराध क्रमांक 414/2019 379 भा.दं.सं., अपराध क्रमांक 486/19 धारा 49ए मध्य प्रदेश आबकारी

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050019192024-orderno-1.pdf

अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। आरोपी प्रथमदृष्टया आपराधिक पृष्ठभूमि का होना दर्शित है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो उसके द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना होगी। ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं आरोपी पर आरोपित अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अमन वर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् दिनांक 29.07.2024 एवं दिनांक 30.07.2024 को पेश हो।

हस्ता/–
(आर.एस. दोहरे)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
डा. अम्बेडकरनगर जिला इंदौर

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050019192024-orderno-1.pdf